



स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय

OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR

बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004

Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004

Phone No. 0612-2675929, 2675672, Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

पत्रांक डी. 11012/1/2010

दिनांक—

भाड़े पर जेनरेटर सेट उपलब्ध कराने संबंधी पुनर्निविदा आमंत्रण

जनगणना निदेशालय, बिहार पटना के अधीनस्थ बिहार राज्य भंडार निगम के फतुहा स्थित भंडारगृह में एक सेट 10 के0भी0ए0 का जेनरेटर सेट चालक के साथ उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पर निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म वित्तीय निविदा के प्रोफार्मा को अपने लेटर हेड पर अंकित करते हुए अपना दर अंकित करें।

नियम एवं शर्तें

निविदा एक बड़े लिफाफे में जिस पर "भाड़े पर जेनरेटर उपलब्ध कराने संबंधी निविदा" अंकित होना चाहिए के अन्दर दो अलग-अलग लिफाफे निम्न प्रकार होना चाहिए।

- क) भाड़े पर जेनरेटर सेट चालक के साथ उपलब्ध कराने संबंधी तकनिकी निविदा।
ख) भाड़े पर जेनरेटर सेट चालक के साथ उपलब्ध कराने संबंधी वित्तीय निविदा।

अ) तकनीकी निविदा में निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए

1. जेनरेटर सेट के क्षेत्र में तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव संबंधी
2. सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज
3. किसी भी सरकारी एजेन्सी द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने संबंधी स्वअभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र
4. किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का रू0 5,000.00 (रूपया पाँच हजार) का बैंक ड्राफ्ट सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड- I, जनगणना निदेशालय, बिहार के नाम देय संलग्न करना होगा।

तकनीकी निविदा के साथ उपरोक्त कम संख्या एक से चार पर अंकित दस्तावेज संलग्न करने वाले निविदादाता को ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

निविदा की अन्य शर्तें निम्नवत हैं:-

1. जेनरेटर सेट की सुरक्षा की जिम्मेवारी फर्म की होगी।
2. जेनरेटर के रख-रखाव की जिम्मेवारी फर्म की होगी। जेनरेटर खराब होने की स्थिति में पाँच घंटे के अन्दर स्टैण्डबाई जेनरेटर उपलब्ध कराना होगा। पाँच घंटे के अन्दर जेनरेटर नहीं उपलब्ध कराने पर विलम्ब के अनुपात में दर से कटौती की जाएगी।
3. डीजल की उपलब्धता निविदादाता द्वारा ही किया जाना है। डीजल का खपत 2 लीटर प्रति घण्टा की दर से निदेशालय द्वारा मासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा।
4. टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार की जाएगी।

5. निविदा पत्र दिनांक 30.7.12 2012 तक अपराह्न 2.00 बजे जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, तृतीय तल, अशोक राजपथ, पटना-800004 में प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि /समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा उक्त तिथि को 3.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं।

6. निविदा डाक/कुरियर से प्रेषित किया जा सकता है। इस निदेशालय के टेंडर बॉक्स में भी डाला जा सकता है। निर्धारित तिथि समय के उपरांत प्राप्त निविदा पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

7. निविदा किसी शर्त के तहत स्वीकार्य नहीं होगा एवं निदेशालय को किसी भी समय निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ब) वित्तीय निविदा

वित्तीय निविदा निम्नलिखित प्रोफर्मा में होना चाहिए

क्षमता	दर प्रतिमाह		दर प्रतिदिन	
	जेनरेटर का किराया	चालक (प्रतिदिन आठ घंटे के लिए)	जेनरेटर का किराया	चालक (प्रतिदिन आठ घंटे के लिए)
10 के०भी०ए० साईलेंट जेनेरेटर				
10 के०भी०ए० साधारण जेनेरेटर				

व/र/3
20/7/12
(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (का० अ०)
दिनांक- 20/7/2012

पत्रांक संख्या-डी० 11012/1/2010 - 1528 पटना,
प्रतिलिपि:-

1. समिति के सभी सदस्य।
2. श्री भाष्कर मिश्रा, उप महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, भी०एस० डिविजन-सी.आर.एस. यूनिट, वेस्ट ब्लॉक- I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
3. ORGI Website/Notice Board

व/र/3
20/7/12
(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (का०अ०)